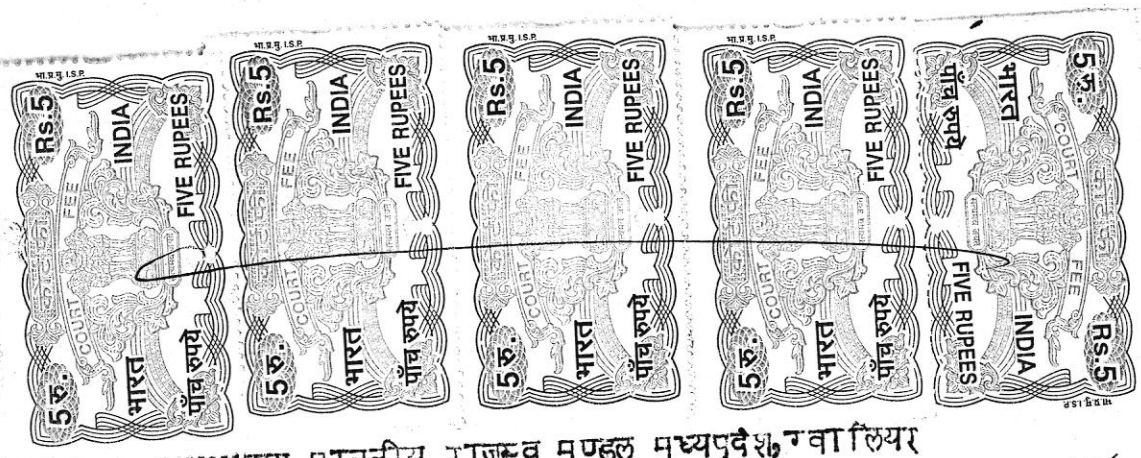

(५१)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नि.ग -216- II-16

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी

राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा
पुत्र श्री कद्री विशाल मिश्रा, निवासी
मोहल्ला, अलीगंज (राम मन्दिर
के सामने) तहसील व जिला बांदा
(उत्तर प्रदेश) ।

------प्रार्थी

दिनांक 20-1-16 को श्री एस० के० अवस्थी अधि० द्वारा प्रस्तुत/ 20-1-16 SO

बनाम

१- मध्यप्रदेश शासन ---- अप्रमुख प्रतिप्रार्थी
२- साविर खान पुत्र अलीम खान,
निवासी ग्राम नसैनी, तहसील नरैनी
जिला बांदा-उत्तरप्रदेश ।
३- सगीर पुत्र तसब्बुर खान, निवासी
ग्राम नसैनी, तहसील नरैनी जिला
बांदा (उत्तरप्रदेश)

अग्रआदेश 20/1/16

----तरतीवी
प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलैक्टर महोदय, छतरपुर दिनांकी २३-०७-१५, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० २८/१४-१५ अपील ।

R
Copy Recd

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर कलैक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 216–दो/2016 निगरानी **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभि.के हस्ता
5-2-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 28/2014–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा आवेदक का अपील मेमो के साथ प्रस्तुत संहिता की धारा 52 का आवेदन निरस्त किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों अनुसार निगरानी ग्राह्य योग्य है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 23–7–2015 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर व्दारा प्रकरण कमांक 1/अ–67/13–14 में पारित आदेश दिनांक 7–5–15 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायाय खंड जबलपुर व्दारा रिट पिटीशन कमांक 8566/2015 में दिये गये निर्देशों के कम में आवेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की थी क्योंकि आवेदक पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 7–5–15 से रू. 50,88,000/–अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बसूली के आदेश दिये है जिसकी 50 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर अपर कलेक्टर स्थगन देने तैयार थे, किन्तु आवेदक के पास राशि की व्यवस्था न होने से उन्होंने स्थगन आवेदन निरस्त किया है। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत अभिलेख	

R 216 M/16

से परिलक्षित है कि अभी अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में आवेदक की सुनवाई होना है और यदि आवेदक के हित में स्थगन नहीं दिया गया तब आवेदक से उक्त राशि वसूल कर ली जावेगी एंव आवेदक के अभिभाषक के अनुसार राशि उपलब्ध न होने की दशा में आवेदक की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः अपर कलेक्टर छतरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह निराकरण दो माह के भीतर अंतिम रूप से करें एंव आवेदक के हित में दो माह की अवधि तक स्थगन दिया जाता है । प्रकरण में अन्य किसी प्रकार के अनुतोष की मांग शेष न रहने से निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य